न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 67/2022

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 83/83 की कुल 5.6405है0 भूमि में 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 23/23 की कुल 13.5440है0 भूमि में से 1625/27088 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 253/229 की कुल 1.8970 भूमि तथा रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 115/109 की कुल 7.0567है0 भूमि में से 25293/141134 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम शंकरराम है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम शंकरलाल है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का शंकरराम की जगह शंकरलाल तस्लीम कर लेवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम शंकरलाल दुरूस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी स0 1 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल पुत्र मोमनराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज के दौरान प्रार्थी का नाम शंकरराम पुत्र मोमनराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के

दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 83/83 की कुल 5.6405है0 भूमि में 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 23/23 की कुल 13.5440है0 भूमि में से 1625/27088 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 253/229 की कुल 1.8970 भूमि तथा रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 115/109 की कुल 7.0567है0 भूमि में से 25293/141134 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम शंकरराम पुत्र मोमनराम के स्थान पर शंकरलाल पुत्र मोमनराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में सही नाम शंकरलाल पुत्र मोमनराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक मेघाना, पटवारी हल्का भोगसना द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 83/83 की कुल 5.6405है0 भूमि में 1/4 हिस्सा व रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 23/23 की कुल 13.5440है0 भूमि में से 1625/27088 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 253/229 की कुल 1.8970 भूमि तथा रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर के खाता स0 115/109 की कुल 7.0567है0 भूमि में से 25293/141134 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी शंकरराम पुत्र मोमनराम के स्थान पर सही नाम शंकरलाल पुत्र मोमनराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच शंकरराम पुत्र मोमनराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का शंकरराम पुत्र मोमनराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम शंकरराम पुत्र मोमनराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार ... जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर